POCSO अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ई-न्यायालयों पर , थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार पॉक्सो एक्ट, 2012 से संबधित 43.44% परीक्षणों के परिणाम में व्यक्ति बरी हो जाता है और केवल 14.03% मामलों के परिणाम में सजा हो पाती है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम(पॉक्सो एक्ट) क्या है ?

- इसे 2012 में अधिनियमित किया गया। यह विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से निपटने हेतु बना देश का पहला व्यापक कानून है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- **उद्देश्य -** इसे बच्चों के हितों और भलाई की रक्षा के लिए उचित सम्मान के साथ यौन हमलों , यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हितों एवं कल्याण को सर्वोपरि महत्व देता है।
- यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका में भी रखता है।
- अधिनियम के अनुसार, बाल यौन शोषण के मामले को, अपराध की रिपोर्ट किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- गैर-रिपोर्टिंग इसके तहत अपराध माना गया।
- दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं।
- पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखा जाता है।

चिंताएं

- न्यायालय द्वारा निर्णय में हुई देरी समाज में अविश्वास को बढ़ावा दे रही है और इससे अपराधी को बिना किसी डर के कहीं न कहीं अपराध करने का और बढ़ावा मिलता है।
- जागरूकता या ज्ञान का अभाव।
- गुड टच और बेड टच जैसे सामाजिक मूल्यों में कमी।

सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास

- बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना।
- किशोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000 ।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) ।
- बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 2016

- 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, POCSO के 96% मामलों में आरोपी, पीड़ित का परिचित व्यक्ति ही होता है।
- लंबित मामलों की संख्या में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और इन लंबित मामलों के उच्च स्तर के प्रमुख कारणों में पुलिस जाँच की धीमी गति तथा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के साथ नमूने जमा करने में देरी होती है।

इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडियन केमिकल्स काउंसिल (ICC) सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का चौथा सम्मलेन , नई दिल्ली में शुरू हुआ।

उदेश्य- 2 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य रसायनों के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देना है।

विषय- 'बोर्डरूम टू कम्युनिटी-ESG, कार्बन न्यूट्रैलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस' है।

आयोजन –इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से UNEP एवं रासायनिक संघों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) क्या है ?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- इसकी स्थापना 1972 में हुई थी।

भारतीय रसायन परिषद (ICC):

- **स्थापना** - 1938 में ।
- यह शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है जो भारत में रासायनिक उद्योग की सभी शाखाओं जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, डाइस्टफ्स और डाई-इंटरमीडिएट्स, उर्वरकों और कीटनाशकों, विशेष रसायन, पेंट प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम रिफाइनरियों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारतीय रासायनिक उद्योग के विकास के अंतर्गत है।

भारत का गिरता निर्यात: विनिर्माण पर अधिक मार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के निर्यात में आई कमी वैश्विक विकास को कमजोर कर सकती है।

- अक्टूबर, 2021 में 35.73 अरब डॉलर के निर्यात के मुकाबले भारत ने अक्टूबर में 29.78 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया।
- भारत ने अक्टूबर, 2021 की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर में लगभग 17% कम निर्यात किया।एक अनुमान के अनुसार निर्यात में आई गिरावट कमजोर वैश्विक माँग का प्रतिबिंब है।
- विकसित देशों में लगातार उच्च मुद्रास्फीति के मद्देनजर वैश्विक आर्थिक विकास में तेजी से गिरावट आ रही है और इसके परिणामस्वरूप, लगभग सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को तेज कर दिया गया है।

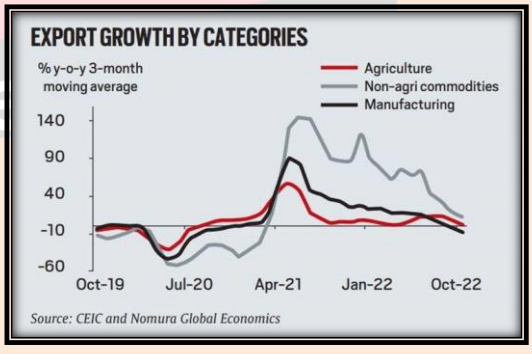

- "तेल निर्यात वृद्धि सितंबर में 43.0% से घटकर,11.4% हो गई, जो आंशिक रूप से कम वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को दर्शाती है, जबकि गैर-तेल निर्यात -16.9% वर्ष-दर-वर्ष गिर गया, जिसमें लौह अयस्क, हस्तशिल्प, वस्त्र, कुछ में व्यापक आधार पर गिरावट आई।
- भारत के निर्यात में आई कमजोरी बनी रहने की संभावना है क्योंकि वैश्विक विकास कमजोर रहने पर टिकी है। कमजोर निर्यात के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास पर प्रभाव पड़ेगा।

कार्बन बॉर्डर टैक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में COP-27 में भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका(BASIC ग्रुप) ने कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध करते हुए कहा कि "कार्बन सीमा करों जैसे एकतरफा उपायों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं से बचा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में विकृति आ सकती है और पार्टियों के बीच विश्वास की कमी बढ़ सकती है।

क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स ?

- कार्बन बॉर्डर टैक्स में किसी ऐसे देश में निर्मित उत्पादपर आयात शुल्क लगाया जाना शामिल है, जो इसे खरीदने वाले की तुलना में लचीले जलवायु नियमों के अनुसार लगाया जाता है।
- भारत के अनुसार, इसका परिणाम "बाजार विकृति" हो सकता है।
- BASIC समूह, ने संयुक्त बयान में कहा कि , "एकतरफा उपाय और भेदभावपूर्ण व्यवहार, जैसे कि कार्बन सीमा कर, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में विकृति आ सकती है तथा पार्टियों के बीच विश्वास की कमी बढ़ सकती है,से बचना चाहिए।"
- BASIC देश विकासशील देशों द्वारा विकसित से विकासशील देशों में जिम्मेदारियों के किसी भी अनुचित स्थानांतरण के लिए एकजुटता की प्रतिक्रिया का आह्वान करते हैं।
- कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, 2026 से यूरोपीय संघ (EU) की कार्बन-गहन उत्पादों, जैसे- लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमीनियम तथा बिजली उत्पादन पर कर लगाने की एक योजना है।
- EU के अनुसार कर से पर्यावरण को लाभ होगा जो कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करेगा, इसका विरोध करने वाले कर को अनुचित और संरक्षणवादी बताया गया। उनके अनुसार यह विकासशील देशों पर जलवायु अनुपालन का बोझ डालता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से, उनका पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान बहुत कम है और फिर भी ये ही देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

'कार्बन लीकेज': क्यों महसूस हुई टैक्स की जरूरत

- कुछ विकसित राष्ट्र, उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों में, अपने ही देशों में कार्बन-गहन व्यवसायों पर उच्च लागत लगाते हैं या व्यवसाय संभावित रूप से कम कड़े नियमों वाले देश में उत्पादन को स्थानांतरित करके इसे कम कर सकते हैं, इसे ही कार्बन रिसाव कहते हैं।

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र(CBAM)

- यूरोपीय संघ, 2021 में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के साथ आया। यूरोपीय आयोग की वेबसाइट इसका वर्णन इस प्रकार करती है कि, "विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों और यूरोपीय संघ के अन्य अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन में डिजाइन किया गया। CBAM प्रणाली निम्नानुसार काम करेगी:
- यूरोपीय संघ के आयातक देश उस कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदेंगे जिसका भुगतान किया गया होता है और माल भी यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के तहत उत्पादित किया गया होना चाहिये।

- इसके विपरीत, एक बार एक गैर-यूरोपीय संघ देश उत्पादक यह दिखा सकता है कि उसने पहले ही किसी तीसरे देश में आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कार्बन के लिए कीमत चुका दी है, तो यूरोपीय संघ के आयातक के लिए संबंधित लागत पूरी तरह से घटायी जा सकती है।
- कार्बन रिसाव के तहत यूरोपीय संघ में स्थित कंपनियां ढीले मानकों का लाभ उठाने के लिए विदेशों में कार्बन-गहन उत्पादन को स्थानांतरित करके या यूरोपीय संघ के उत्पादों को अधिक कार्बन-गहन आयातों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- यूरोपीय संघ के अलावा, अमेरिका में कैलिफोर्निया बिजली के कुछ आयातों पर शुल्क लागू करता है। कनाडा और जापान भी इसी तरह के उपायों की योजना बना रहे हैं।

भारत की स्थिति

- विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और अधिक बोझ नहीं डाल सकते हैं क्योकि वे स्वयं जिम्मेदारियों से बचते हैं। COP-27 में, भारत ने कहा कि सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है, न कि केवल कोयले की, जिसे विकास द्वारा लक्षित किया गया है।
- जलवायु कार्रवाई में, कार्रवाई के लिए किसी भी क्षेत्र, ईंधन स्रोत और गैस को अलग नहीं किया जाना चाहिए।पेरिस समझौते की भावना में, देश वही करेंगे जो उनकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होगा।
- ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के लिए 'सिर्फ संक्रमण' का मतलब यह नहीं है कि सभी देशों को समान स्तर के डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रयास करना चाहिए। भारत के लिए संक्रमण का मतलब समय के पैमाने पर कम कार्बन हो,जो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास एवं रोजगार सुनिश्चित करता हो।

राइनो हॉर्न

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तरी अमेरिका के पनामा सिटी में संरक्षण एजेंसियों के एक सम्मेलन द्वारा वैश्विक खतरे पर आकलन रिपोर्ट लायी गयी जिसके अनुसार अवैध शिकार में कमी के बाद भी गैंडों के सींगों की चोरी और उनकी जब्ती में वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- वन्यजीव न्याय आयोग (WJC) ने 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसंबर, 2021 तक राइनो हॉर्न संबधित दस्तावेज़ तैयार किया।विगत दशक के दौरान विश्व स्तर पर हुई 674 राइनो हॉर्न जब्ती की घटनाओं ने खतरे से अवगत करवाया है और रिपोर्ट में छह देशों तथा क्षेत्रों ने गैंडों के सींग की तस्करी के मार्गों को बढ़ावा दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध (2012-2021): 2022 में ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट के एक रूप के रूप में 'राइनो हॉर्न ट्रैफिकिंग का कार्यकारी सारांश' नामक एक व्यापक विश्लेषण, लुप्तप्राय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन द्वारा रेखांकित किया गया।
- ये देश थे- दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मलेशिया, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, वियतनाम और चीन।
- **एक सींग वाला गैंडा:-** "भारतीय गैंडा" की प्रजाति
- यह काले सींग और त्वचा की परतों के साथ भूरे रंग के छिपाने से पहचाना जाता है। राइनो की यह प्रजाति आमतौर पर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और असम, भारत में पायी जाती है।
- **IUCN रेड लिस्ट**: सुभेद्यता की स्थिति।
- CITES: परिशिष्ट।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची।

विश्व में गैंडों की कुल पाँच प्रजातिया हैं।

- सफेद गैंडा: उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका
- काला गैंडा: पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका
- जावा राइनो: इसे सुंडा राइनो भी कहा जाता है
- सुमात्रा गैंडा: गैंडों की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति

नार्को टेस्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली अदालत ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया।

क्या है नार्को टेस्ट?

यह ग्रीक शब्द 'नार्को' (जिसका अर्थ एनेस्थीसिया या टॉरपोर है) से लिया गया है जिसका उपयोग एक नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो साइकोट्रोपिक दवाओं, विशेष रूप से बार्बिटुरेट्स का उपयोग करता है। इसमें सोडियम पेंटोथल नामक दवा को आरोपी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जो उन्हें एक कृत्रिम निद्रावस्था में ले जाता है जो अभियुक्त को झूठ बोलने में असमर्थ कर देता है।

पॉलीग्राफ टेस्ट:

- एक पॉलीग्राफ टेस्ट इस धारणा पर आधारित होता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो शारीरिक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग होती हैं जो अन्यथा होती हैं।
- पॉलीग्राफ परीक्षण में शरीर में दवाओं का इंजेक्शन लगाना शामिल नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- 'सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य' (2010) में, एक सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "अभियुक्तों की सहमति के आधार पर" कोई झूठ डिटेक्टर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विषय की सहमति दर्ज की जानी चाहिए।
- इस तरह की स्वेच्छा से लिए गए परीक्षण की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।